माँ जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय, तारानगर

दिनांक– 13.02.2024

आवश्यक सूचना

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक – एफ 23(34) लेखा/आकाशि/छात्रवृति/इ0679/2023–24/9247 दिनांक :–25.01.2024 की अनुपालना में निम्नलिखित छात्रवृति योजनाओं के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं–

1. आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति
2. महिला योग्यता छात्रवृति
3. उर्दू छात्रवृति
4. शोध छात्रवृति
5. मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृति
6. ललित कला छात्रवृति (स्कूल ऑफ आर्ट्स/संगीत संस्थान)
7. राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति
8. भारत पाक व चीन युद्ध में मृतक/अपंग सैनिकों के बच्चों/उनकी विधवाओं को छात्रवृति
9. कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति
10. मिलिट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृति
11. स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृति

उल्लेखित छात्रवृतियों से संबधित नियम एवं आवेदन फार्म महाविद्यालय की वेबसाईट पर नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र महाविद्यालय जमा करवाने की अंतिम दिनांक 24.02.2024 है।

छात्रवृति प्रभारी 13/2/24

प्राचार्य

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 23 (1)लेखा/आकाशि/छात्रवृति/2011–12/ 285 दिनांक 16-08-2011

विषयः– निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृतियों के संबंध में।

निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा नियमित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृतिया स्वीकृत की जाती हैं। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं:–

1 **आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृतिः–**

नूतनः यह छात्रवृति राजस्थान के छात्र जिन्होंने 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंको से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा संचालित सैकेण्डरी /हायर सैकेण्डरी तथा उपाध्याय परीक्षा (संस्कृत) और स्नातक परीक्षा राजस्थान में स्थित महाविद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं जिनके अभिवावको की वार्षिक आय रू0 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रू0 मात्र) तक हो को स्वीकृत की जाती है। इस इस हेतु 1200 अवार्डस निर्धारित हैं। नूतन छात्रवृति अध्ययन डिग्री के प्रथम वर्ष में स्वीकृत की जा सकेगी, आगामी वर्षो में नहीं हैं।

छात्रवृति दर रू0 120/– प्रतिमाह– एडमिशन तिथि तथा (फीस जमा तिथि) से देय है। हॉस्टलर को रू0 200/– (रू0 दौ सौ मात्र) प्रतिमाह देय है। पी.जी. प्रवेश में रू0 240/– प्रतिमाह तथा हॉस्टलर को रू0 600/– प्रतिमाह रहने की तिथि से देय है।

नवीनीकरणः जिन छात्र/छात्राओं को गत वर्ष नूतन छात्रवृति स्वीकृत की गई थी केवल वे ही छात्र/छात्राएं छात्रवृति हेतु आवदेन कर सकते है। इस हेतु 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छात्रवृति दर रू0 180/– प्रतिमाह एडमिशन तिथि से मार्च तक देय होगी।

बजट मद– 2202–सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107–छात्रवृतियां, (01)छात्रवृतियां और वजीफा (आयोजना), 13–छात्रवृति और वजीफा आयोजना (आयोजना)

2 **महिला योग्यता छात्रवृतः–**

नूतनः– इस छात्रवृति में सीनियर हायर सैकेण्डरी परीक्षा के आधार पर उच्चतर पाठयक्रम में अध्ययनरत छात्राओं को जिन्होंने 60 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित किये हो तथा अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 एक लाख या इससे कम हो वे ही इस छात्रवृति की पात्र होगी इसके लिए 1200 अवाडर्स निर्धारित है। नूतन छात्रवृति अध्ययन डिग्री के प्रथम वर्ष में ही स्वीकृत की जा सकेगी, आगामी वर्षो में नहीं।

छात्रवृति दर रू0 120/–प्रतिमाह एडमिशन तिथि (फीस जमा तिथि) से देय हैं। हॉस्टलर को रू0 200/–(रू0 दौ सौ मात्र) प्रतिमाह देय है। पी.जी. प्रवेश में रू0 240/–प्रतिमाह तथा हॉस्टलर को रू0 600/–प्रतिमाह रहने की तिथि से देय है।

नवीनीकरणः– जिन छात्राओं को गत वर्ष नूतन छात्रवृति स्वीकृत हुई थी, नवीनीकरण हेतु आवदेन कर सकती है। इस हेतु उत्तीर्ण परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होना अनिवार्य है।

छात्रवृति रू0 180/–प्रतिमाह से मार्च तक देय है। हॉस्टलर को रू0 280/– प्रतिमाह से देय है। पी.जी. फाईनल हेतु रू0 240/– प्रतिमाह तथ हॉस्टलर को रू. 600/–प्रतिमाह रहने की तिथि से देय है।

बजट मद– 2202–सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107–छात्रवृतियां (01)छात्रवृतियां और वजीफा (आयोजना), 13–छात्रवृति और वजीफा आयोजना (आयोजना)

3 **उर्दू छात्रवृतिः–**

नूतनः– उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु यह छात्रवृति स्नातक स्तर पर केवल छात्राओं को उर्द विषय (ऐच्छिक विषय) लेकर अध्ययन करंने पर ही देय होगी। इस हेतु उत्तीर्ण परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। जो छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर पाठ्यकम में उर्दू विषय लेकर अध्ययन करेंगे उन्हें भी छात्रवृति देय होगी। स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

डिग्री कक्षाओं में अध्ययनरत सभी छात्रों को छात्रवृति दर रू0 100/–(रू0 एक सौ मात्र) प्रतिमाह देय है, तथा पी.जी. डिग्री में अध्ययनरत सभी छात्राओं को रू0 150/–प्रतिमाह देय है।

नवीनीकरणः– जिन छात्र/छात्राओं को गत वर्ष नूतन छात्रवृति स्वीकृत की गयी थी मात्र वे ही छात्र/छात्राएं नवीनीकरण हेतु छात्रवृति के पात्र होंगें तथा उन्हें 50 प्रतिशत अंक एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

डिग्री कक्षाओं में अध्ययनरत सभी छात्रों को छात्रवृति दर रू0 100/– (रू0 एक सौ मात्र) प्रतिमाह देय है, तथा पी.जी. डिग्री में अध्ययनरत सभी छात्रों को रू0 150/– प्रतिमाह देय है।

बजट मद– 2202–सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107–छात्रवृतियां (02)उर्दू विषयों के छात्रों को छात्रवृति (आयोजना भिन्न) 13–छात्रवृति और वजीफा आयोजना (आयोजना भिन्न)

Scanned by CamScanner

4 **स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृतिः—**

नूतनः— राजस्थान के स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों /पोते/पोतियों जो किसी महाविद्यालय में अध्ययनरत एवं जिन्होंने गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा स्वतंत्रता सैनानियों की वार्षिक आय 14,400:/— से अधिक नहीं, हो को यह छात्रवृति देय होगी। आवदेन पत्र के साथ आय एवं राजनैतिक पीडित होने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में जिला दण्ड न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित महाविद्यालयों के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक है। छात्रवृति रू0 60/— (रूपयै साठ मात्र) प्रतिमाह से देय हैं।

नवीनीकरणः—जिन छात्र/छात्राओं को गत वर्ष नूतन छात्रवृति स्वीकृत हुई हो तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर यह छात्रवृति देय होगी।

<u>बजट मद— 2202—सामान्य शिक्षा, 03— विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107—छात्रवृतियां (01) छात्रवृति और वजीफा (आयोजना भिन्न) 13—छात्रवृति और वजीफा आयोजना (आयोजना भिन्न)</u>

5. **मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृतिः—**

नूतनः— यदि राज्य सेवा में कार्य करते हुए किसी कर्मचारी का स्वर्गवास हो जाता है तो उनके बच्चे इस छात्रवृति के लिए पात्रता रखते हैं। राज्य सरकार के मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति स्वीकृत की जाती है। छात्र का गत परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नूतन छात्रवृति आवदेन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र तथा राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई—पद एवं विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

स्नातक स्तर पर छात्रवृति रू0 500/—प्रति दस माह के लिए है तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रू0 750/—प्रति दस माह के लिए देय है।

नवीनीकरणः— प्रतिवर्ष छात्रवृति का नवीनीकरण पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होने की शर्तों पर किया जावेगा।

स्नातक डिग्री अध्ययन हेतु रू0 500/—प्रति दस माह के लिए तथा स्नातकोत्तर डिग्री अध्ययन हेतु रू0 750/—दस प्रति माह के लिए देय होगी।

<u>बजट मद— 2202—सामान्य शिक्षा, 03— विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107—छात्रवृतियां,(01)छात्रवृतियां, और वजीफा (आयोजना भिन्न), 13—छात्रवृति और वजीफा (आयोजना भिन्न)</u>

6. **ललित कला छात्रवृतिः—**

(अ) राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर

नूतनः— इस योजना में वे ही छात्र/छात्राएं आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने राजस्थान संगीत संस्थान से मध्यमा/विषारद परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित कर विशारद/निपुण में प्रवेश लिया हो तथा माता—पिता आयकर दाता नहीं हो। विशारद को रू0 60/—प्रतिमाह और निपुण को रू0 120/—प्रति माह छात्रवृति देय होगी।

नवीनीकरणः— छात्रवृति का नवीनीकरण पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही छात्रवृति स्वीकृत की जावेगी। विशारद को रू0 60/— प्रतिमाह और निपुण को रू 120/—प्रतिमाह छात्रवृति देय होगी।

<u>बजट मद— 2202—सामान्य शिक्षा, 03— विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107—छात्रवृतियां(01) छात्रवृतिया और वजीफा (आयोजना भिन्न), 13—छात्रवृति और वजीफा (आयोजना भिन्न)</u>

(ब) राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस, जयपुर

नूतनः—राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के फाउण्डेशन कोर्स में 60 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित कर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएं ही आवेदन करने योग्य होगें तथा जिन छात्र/छात्राओं के माता—पिता आयकर नहीं देते हो। डिप्लोमा को रू0 60/—प्रति माह छात्रवृति देय होगी।

नवीनीकरणः— नवीनीकरण हेतु विद्यार्थियों को गत वर्ष की उत्तीर्ण परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है। डिप्लोमा हेतु रू0 90/—प्रतिमाह छात्रवृति देय होगी।

<u>बजट मद— 2202—सामान्य शिक्षा, 03— विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107—छात्रवृतियां(01) छात्रवृतिया और वजीफा (आयोजना भिन्न), 13—छात्रवृति और वजीफा (आयोजना भिन्न)</u>

Scanned by CamScanner

7 राजस्थान की पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृतिः–

नूतनः–राजरथान के पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एवं राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु यह छात्रवृति प्रारम्भ की गयी है ऐसी उत्तीर्ण छात्राएं ही आवेदन की पात्र होगी, जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं हो। आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से इस निदेशालय को निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है छात्रवृति दर रू0 150/–प्रतिमाह एडमिशन तिथि से देय है।

नवीनीकरणः–जिन छात्राओं को गत वर्ष मे नूतन छात्रवृति मिली हो तथा इस वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे ही छात्रवृति की पात्र होगी। छात्रवृति दर रू0 150/–प्रतिमाह दर से देय है।

बजट मद– 2202–सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107–छात्रवृतियां, 03–भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों को छात्रवृति (आयोजना भिन्न)

8 कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृतिः–

नूतनः–कारिगल कार्यवाही में शहीद राजस्थान के सैनिकों के आश्रितों के कल्याण एवं उन्हें उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने हेतु यह छात्रवृति प्रारम्भ की गई है। महाविद्यालयों की अनुशंषा किया हुआ आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर को निर्धारित तिथि तक पहुंच जाना चाहिए। आवदेक को अन्य कोई छात्रवृति या ऋण मिल रही हेा तो यह छात्रवृति देय नहीं है। प्राप्त आवदेन पत्रों पर निदेशक कॉलेज शिक्षा, विभाग जयपुर द्वारा छात्रवृति रू0 300/–(रू0 तीन सौ मात्र) प्रतिमाह स्वीकृति की जावेगी।

नवीनीकरणः–परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं ही इसके पात्र होंगें। छात्रवृति रू0 300/–प्रतिमाह देय है।

9 शोघ छात्रवृतिः–

नूतनः– यह छात्रवृति राजस्थान के मूल निवासी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में शोध करने वाले छात्रों को दी जाती है। छात्रवृति राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर भेजी जाती है तथा स्वीकृति प्राप्त होने पर निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, विभाग द्वारा डिमाण्ड ड्रॉफ्ट बनवाकर संबंधित संस्था प्राचार्य को भेजे जाते है।

नवीनीकरणः–जिन छात्र/छात्रओं को नूतन छात्रवृति स्वीकृत हुई हो वे ही इसके पात्र होंगे। यह छात्रवृति भी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है तथा स्वीकृति प्राप्त होने पर निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, विभाग द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर संबंधित संस्था प्राचार्य को भेजे जाते है।

10 मिलिट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृतिः–

नूतनः– यह छात्रवृति राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर निदेशालय, को भेजी जाती है। निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग में स्वीकृति प्राप्त होने पर डिमाण्ड ड्रॉफ्ट बनवाकर संबंधित संस्था प्राचार्य को भेजे जाते है। छात्रवृति रू0 2700/–वार्षिक देय है।

11 भारत–पाक एवं चीन युद्ध में मृतक अथवा अपंग सैनिकों के बच्चों/उनकी विधवाओं को छात्रवृतिः–

नूतनः–उपरोक्त युद्ध में मृतक अथवा अपंग सैनिको के बच्चों/विधवाओं को एन्टाईटिलपेन्ट कार्ड के आधार पर छात्रवृति दी जावेगी। यह छात्रवृति स्नातक कक्षा तक ही देय है। यह छात्रवृति राजकीय/अराजकीय महाविद्यलयों में अध्ययनरत छात्रा को दी जावेगी।

नवीनीकरणः–जिनकों पूर्व में नूतन छात्रवृति स्वीकृत हुई हो तथा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र को नवीनीकीरण छात्रवृति देय होगी।

छात्रवृति आवदेन फॉर्म के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य हैः–

1 गत वर्ष 2011 में (वर्ष 2011–12 के लिए) उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका की सत्यापित प्रतिलिपि।
2 आय प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2010–11 के संदर्भ में।
3 प्रवेश प्रमाण पत्र, वर्ष 2011 में जिस कक्षा में प्रवेश लिया है, उसकी प्रवेश तिथि स्पष्ट करते हुए निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करना आवश्यक है।
4 छात्र यदि छात्रावास मे रहता है तो वार्डन द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, जिसमें छात्र की एडमिशन तिथि, निवास करने की तिथि कमरा नं0 फीस जमा की डी0 डी0 नम्बर, दिनांक व राशि अंकित हो संलग्न करे। वार्डन अपना नाम, पद, स्थाई पता, तथा मोबाइल नं0 अंकित करें। उक्त मूल प्रमाण पत्र तथा छात्रावास फीस जमा की मूल रसीद पर संस्था प्रधान के प्रति हस्ताक्षार करवाकर संलग्न करे।
5 छात्र/छात्रा का बचत खाता नं0, बैक का नाम, पता, फार्म के मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए बैंक पासबुक की फोटो प्रति संलग्न की जावे।

Scanned by CamScanner

आय प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ उल्लेख है कि:–

1 आय परीक्षण के प्रयोजन के लिए माता पिता एवं छात्र सभी की आय को शामिल किया जावेगा।
2 वेतन भोगी कर्मचारी आय का प्रमाण पत्र, नियोक्ता अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करे। वेतन भोगी कर्मचारियों की वार्षिक आय से आशय वेतन एवं समस्त भत्तों से है।
3 पेंशन भोगी कर्मचारी पेंशन आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करे साथ ही पेंशन एवं महंगाई भत्तों का प्रमाण पत्र भी संलग्न करे।
4 अन्य स्त्रोत से आय के मामले में आयकर लगने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है जिसमें गत वर्ष की वास्तविक आय दर्शायी जानी चाहिए।
5 कृषि से आय के लिए राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमे गत वर्ष की (2010–11) की वास्तविक आय दर्शाना आवश्यक है।

नोट:– (1) जिस छात्र को एक छात्रवृति मिल रही हो दूसरी अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृति देय नहीं है। अतः संस्था प्रधान ऐसे छात्र का आवेदन पत्र अग्रेषित नही करें।
(2) छात्रवृति आवेदन फॉर्म पूर्ण एवं सही भरकर निर्धारित तिथि तक निदेशालय में हार्ड कापी तथा सोफ्ट कापी के साथ (सीडी में) संस्था प्रधान द्वारा जमा कराना आवश्यक है। अपूर्ण एवं अन्तिम तिथि बाद प्राप्त फॉर्मो पर विचार नहीं किया जावेगा। इसकी जिम्मेदारी संस्था प्रधान तथा आवेदक स्वयं की होगी। बिना साफ्ट कापी(सीडी के बिना) आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगें।
(3) नियमित अध्ययन में अन्तराल होने पर छात्रवृति देय नहीं होगी।

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

कमांक:– एफ 23(101)एन.सी.एम./आकाशि/09–10/ 28680296 दिनांक 16.8.2011

प्रतिलिपि:– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1 निजी संचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय,जयपुर।
2 निजी सचिव,निदेशक कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर।
3 संयुक्त निदेशक,(छात्रवृति)निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5 समस्त प्राचार्य राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, राजस्थान,
6 संहायक निदेशक, क्षेत्रिय कार्यालय, जयपुर, जोधपुर,बीकानेर, अजमेर, कोटा, और उदयपुर को अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों में सूचना कराने हेतु।
7 कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/जे.एन.व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/एम.एल. सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/राज0 कृषि/महाराजा श्री गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/कोटा विश्वविद्यालय कोटा, तथा वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली निवाई टोंक को प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/ महाविद्यालयों को सूचित कराने का श्रम करावें।
8 निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9 स्टोर कीपर /कैशियर निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10 रक्षित पत्रावली।
11. वेबसाइट अनुभाग को अपलोड करने हेतु।

सयुक्त निदेशक,(छात्रवृति)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Scanned by CamScanner

20

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ 23(50)लेखा/आकाशि/भू.पू.सै.छात्रवृति/अभिवृद्धि/2017–18/935 दिनांक : 22/1/18

आदेश

वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर की आईडी संख्या 101706845 दिनांक 08.01.2018 की स्वीकृति अनुसार **राजस्थान की पूर्व सैनिकों की प्रतिभावन पुत्रियों** को देय छात्रवृति एफ23(1)लेखा/आकाशि/छात्रवृति/2011–12/285 दिनांक 16.08.2011 से **छात्रवृति दर रुपयें 150/– प्रतिमाह के स्थान पर 500/– रुपयें प्रतिमाह(5000/– रु. प्रतिवर्ष) प्रतिस्थापित** की जाती है।

योजना की पात्रता के लिये पूर्व में निर्धारित मापदण्ड यथावत रहेंगे।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(50)लेखा/आकाशि/भू.पू.सै.छात्रवृति/अभिवृद्धि/2017–18/936-941 दिनांक : 22/1/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3 निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4 प्रधान महालेखाकार, लेखा व हक राजस्थान, जयपुर।
5 समस्त प्राचार्य, राजकीय/निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजस्थान।
6 प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।

(एन.एल. शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

F:\Letter.docx

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र

शैक्षणिक सत्र ....

नूतन ☐ **नवीनीकरण** ☐

छात्रवृति चयन हेतु टिक (✓) मार्क करें।

☐ आवश्यकता एंव योग्यता छात्रवृति ☐ महिला योग्यता छात्रवृति
☐ उर्दू छात्रवृति ☐ मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृति
☐ ललित कला छात्रवृति ☐ मिलिट्री देहरादून छात्रवृति
☐ शोघ छात्रवृति
☐ भारत पाक एवं चीन युद्ध में मृतक अथवा अंपग सैनिकों के बच्चों /उनकी विधवाओं को छात्रवृति
☐ कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति
☐ स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृति
☐ राजस्थान की पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृति

I- व्यक्तिगत विवरण

प्राचार्य द्वारा सत्यापित विद्यार्थी की फोटो मय सील

1. विद्यार्थी का नाम : ....

2. पिता/पति का नाम : ....

3. लिंग : पुरूष ☐ **महिला** ☐ **अन्य** ☐

4. जन्म तिथि : ....
(सैकण्ड्री परीक्षा अंकतालिका/प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

5. श्रेणी (सामान्य/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी./अल्पसंख्यक) : ....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न् करें)

6. निवास का पता : ....
.... **जिला** ....**राज्य** राजस्थान
फोन (एसटीडी कोड) .... **फोन नं.** .... **मोबाईल नं.:** ....

7. मूल निवास स्थान : ....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

8. आधार कार्ड नं. (स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ....

9. जन आधार कार्ड नं. (स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ....

10. गत वर्ष स्वीकृत छात्रवृति का नाम मय राशि ....

11. माता–पिता/अभिभावक का व्यवसाय : ....

12. माता–पिता/अभिभावक की कुल वार्षिक आय : ....
(आय प्रमाण पत्र संलग्न करें जो छः माह से अधिक पुराना ना हो।)

13. क्या विद्यार्थी द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार से अन्य कोई छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि इस वर्ष प्राप्त की गई है ? (हॉ/नहीं) .... (यदि नहीं तो इस संबंध में शपथ पत्र संलग्न करें)

II- गत परीक्षा से संबंधित विवरण

14. गत परीक्षा में उत्तीर्ण होने का पूर्ण विवरण :

परीक्षा का नाम	परीक्षा वर्ष	रोल नं.	संकाय	प्राप्तांक	प्रतिशत	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम

(अंकतालिका की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

III-अध्ययनरत् महाविद्यालय से संबंधित विवरण

15. अध्ययनरत् महाविद्यालय का नाम ....

16. कक्षा .... संकाय ....प्रवेश तिथि ....

(फीस जमा रसीद की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

नोट :– यदि विद्यार्थी छात्रावास में निवास कर रहा है तो निवास करने की तिथि से छात्रावास वार्डन से रसीद प्रमाणित कराकर संस्था प्रधान से प्रति हस्ताक्षर कराके संलग्न करें।

IV- विद्यार्थी के बैंक खाते से संबंधित विवरण

17. राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम जिसमें विद्यार्थी का बचत खाता है ....

18. शाखा का नाम .... शहर ....जिला...

19. IFSC कोड .... खाता संख्या .... MICR कोड ....

(बैंक पासबुक की स्पष्ट स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें जिसमें शाखा का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या व MICR कोड अंकित हों)

मैं .... (**विद्यार्थी का नाम**) प्रमाणित करता/करती हूं कि उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 19 तक में अंकित की गई समस्त सूचनाएं पूर्णतयाः सही व सत्य हैं। यदि कोई भी सूचना असत्य पाई गई तो मैं छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि को वापिस राजकोष में जमा कराने का वचन देता/देती हूँ।

दिनांक .... **विद्यार्थी के हस्ताक्षर**

संलग्नकः–

क सं	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो का विवरण	टिक (✓) मार्क करें
1	सैकण्ड्री प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति	
2	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति	
3	मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति	
4	जनआधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति	
5	आय प्रमाण पत्र/बी.पी.एल. कार्ड/पे–स्लीप/फार्म नं. 16 की स्व–प्रमाणित प्रति	
6	अन्य कोई छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं की गई है इस बाबत शपथ पत्र	
7	गत परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका की स्व–प्रमाणित प्रति	
8	अध्ययनरत् महाविद्यालय में जमा कराई गई फीस रसीद की स्व–प्रमाणित प्रति	
9	राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक की स्पष्ट स्व–प्रमाणित प्रति	
10	अन्य प्रमाण–पत्र	
	कुल संलग्नकों की संख्या	

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा ....पुत्र/पुत्री श्री .... शैक्षणिक सत्र .... में इस महाविद्यालय की कक्षा .... संकाय........................ में दिनांक .... को प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत् है।
2. छात्र/छात्रा द्वारा दिये गये शपथ पत्र अनुसार कोई छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं की जा रही है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि यह महाविद्यालय राज्य सरकार से वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता प्राप्त है तथा .... (विश्वविद्यालय का नाम) से वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए सम्बद्वता प्राप्त है।
4. आवेदक द्वारा वांछित समस्त स्व–प्रमाणित संलग्नक प्रमाण पत्र आदि (कुल संख्या ....) आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।
5. विद्यार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 19 में दी गई समस्त जानकारी का सत्यापन उपरांत छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि स्वीकृति हेतु अनुशंषा की जाती है।

दिनांक .... **हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील**

नोटः– विद्यार्थी आवेदन पत्र के समस्त कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से करें। पूर्ण सूचना के अभाव में छात्रवृति स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। जिसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।

कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृति/राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति/स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों/पोते/पोतियों को देय छात्रवृति/ मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृति हेतु पूर्ति की जावे।

कारगिल कार्यवाही में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति/राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति के लिए पूर्ति हेतु

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि शहीद/श्री .... पुत्र श्री .... नम्बर .... रैंक .... सेना के अंग (जल/थल/वायु) .... में दिनांक .... को सेना में भर्ती हुए तथा वे दिनांक .... को कारगिल कार्यवाही में शहीद हुए। विद्यार्थी .... इनका/इनकी पुत्र/पुत्री है तथा इनके परिवार की कुल आय पेंशन व अन्य स्त्रोतों से .... रूपये वार्षिक है।

कार्यालय :–

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के
हस्ताक्षर मय सील

स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों/पौत्र–पौत्रियों को देय छात्रवृति के लिए पूर्ति हेतु

विद्यार्थी का नाम : .... पिता का नाम : .... स्वतन्त्रता सैनानी का नाम ....एंव विद्यार्थी के साथ संबंध .... स्वतन्त्रता सैनानी ने जिस स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया उसका विवरण ....
..
..
..
..

(स्वतन्त्रता सैनानी को सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न् करें)

केवल मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों देय छात्रवृति के लिए पूर्ति हेतु

विद्यार्थी का नाम .... पिता का नाम : .... राज्य सेवा में पद .... विभाग का नाम .... मृत्यु की दिनांक ....

(राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई इस हेतु विभाग विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें)